(1)

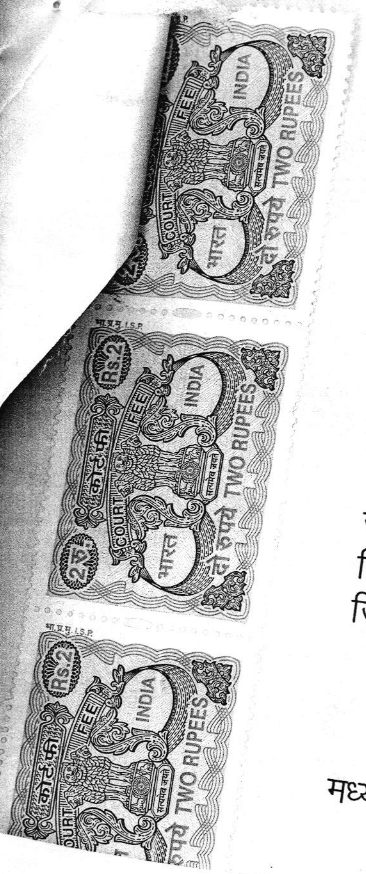

राजस्व अपील क्रमांक............/2014

श्रीमान राजस्व न्यायालय ग्वालियर मध्यप्रदेश

अपील-1636-PBR-14

बालचन्द पिता लक्ष्मण जी गारी
उम्र ......वर्ष व्यवसाय कृषि
निवासी राणापुर तहसील व
जिला झाबुआ

--- अपीलार्थी

विरूद्ध

मध्य प्रदेश शासन

--- रिस्पा.

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अपील 1636—पीबीआर / 2014 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　जिला — झाबुआ

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
19—1—2015	अपीलार्थी अभिभाषक सुश्री विदुश्री सुमनलत उपस्थित। प्रत्यर्थी शासन की ओर से श्री हेमंत मुंगी शासकीय अभिभाषक उपस्थित। उभय पक्ष अभिभाषकों को अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ इन्दौर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30—7—14 के आलोक में निराकरण हेतु प्रस्तुत आवेदन पर सुना गया। 2/ अपीलार्थी अभिभाषक द्वारा मौखिक तर्क में कहा कि सर्वप्रथम यह प्रकरण निगरानी की जगह अपील में त्रुटिवश दायर हो गया है, अतः इसको निगरानी में परिवर्तित किया जाये। इसके अतिरिक्त उनके द्वारा आवेदन पेश कर अनुरोध किया कि इस प्रकरण से संबंधित प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय से आदेश पारित हो चुका है, जिसके पालन में अधीनस्थ न्यायालय में कार्यवाही की जाना है। अतः अब इस प्रकरण का कोई औचित्य शेष नहीं रहने से वापस किया जाये। आवेदक अभिभाषक का अनुरोध स्वीकार करते हुये प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। (डा0 मधु खरे) सदस्य	